संख्या–381/नौ–9–16–193ज/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश
3. समस्त नगर आयुक्त
   नगर निगम, उ0प्र0
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2016

विषय–नगरीय स्थानीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1359/नौ–9–2016/199ज/2006 दिनांक 10 सितम्बर, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 12वें एवं 13वें वित्त आयोग तथा नगरीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यो की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति यथा स्थिति मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। इसमें यह भी प्राविधानित था कि निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि हेतु संबंधित निकाय सक्षम होंगे और इसके लिये मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा विकास कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की धनराशि से संबंधित कार्य योजना मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी स्तर से गठित कमेटी की बैठक समय से न होने के कारण निकायों द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के अनुमोदन में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, जिससे निकायों में विकास कार्य प्रभावित हो रहें है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विभिन्न कार्यो के लिये प्राथमिकतायें निर्धारित करने का अधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया है। केन्द्रीय वित्त आयोग की संवैधानिक व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य के निर्धारित वित्तीय संसाधन सीधे निकायों को उपलब्ध कराये जाते है। स्थानीय निकायों के कार्यो की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि

भारत सरकार की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि की कार्य योजना मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक समय से न होने एवं अन्य कारणों से अनुमोदित किये जाने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है, जिससे विकास कार्य योजना प्रभावित हो रही है और ऐसे में स्थानीय नागर निकायों की स्वायत्तता का लाभ नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है।

3. अतएव प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों की स्वायत्तता के दृष्टिगत वर्तमान में प्रभावी शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 2012 की व्यवस्था को समाप्त कर पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 07.03.2010 की व्यवस्था को पुनः प्रभावी करते हुये केन्द्रीय वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यो के आगणन, निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि हेतु निकाय स्वंय सक्षम होगी। इस हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन/हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा विकास कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायगी। इस सम्बन्ध में नगरीय निकाय केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में जारी भारत सरकार के दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर वित्तीय नियमों/प्राविधानों के सम्बन्ध में शासन स्तर से निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करायेंगी।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
3. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

yad-go-2